

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. ----(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांकित 16 जनवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 48 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ संख्या 26 पर, पंक्ति 30 में, "पैराग्राफ 4" के स्थान पर "पैराग्राफ 5" पढ़ें।

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार